संख्या- 117 /2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 26 अक्टूबर, 2017

विषय: **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।**

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित योजना "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में "सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" का नाम परिवर्तित कर उसके स्थान पर **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना"** आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की अल्पविकसित एवं मलिन बस्तियों **(प्राईवेट सोसाइटी/डेवलपर्स द्वारा बसायी गयी बस्ती को छोड़कर)** में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, पेयजल, मार्ग प्रकाश व अन्य सुविधाओं की स्थापना का कार्य किया जायेगा। "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1. नगर निकाय/नगर पालिका परिषद आबादी क्षेत्र के अन्दर के मार्ग व गलियां, जो सम्पर्क मार्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं और जिन पर हैवी/कामर्शियल वाहन नहीं चलते हैं, सड़क की पूरी चौड़ाई को आच्छादित करते हुए नाली, इण्टरलॉकिंग व सी0सी0 रोड का निर्माण किया जायेगा।
2. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा जनपद की शहरी क्षेत्रों की अल्पविकसित तथा मलिन बस्तियों को चिन्हित कराकर **(प्राईवेट सोसाइटी/डेवलपर्स द्वारा बसायी गयी बस्ती को छोड़कर)**, तद्नुसार प्रस्ताव/डी0पी0आर0 जनपद स्तरीय शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त निदेशक, सूडा को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त प्रस्तावों का निदेशक, सूडा द्वारा परीक्षण कराकर अपनी संस्तुति सहित डी0पी0आर0 शासन को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
3. **इण्टरलॉकिंग का निर्माण:-** इण्टरलॉकिंग से सड़क निर्माण कार्य कराये जाने पर जहां एक ओर नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है, वहीं दूसरी ओर वाटर रिचार्जिंग भी सम्भव हो जाती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इण्टरलॉकिंग का कार्य प्राथमिकता पर उन क्षेत्रों में कराया जाय, जहां गलियाँ अत्यन्त सकरी हों तथा हल्के वाहन चलते हों।
4. **सी0सी0 रोड का निर्माण:-** सी0सी0 रोड निर्माण कार्य ऐसे मार्गों पर कराया जाय, जहां प्राय: जल भराव की समस्या हो।

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

5. नाली का निर्माण:- सड़क के रखरखाव व उसकी दीर्घकालिक उपयोगिता बनाये रखने हेतु जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु सड़कों की उचित टेपरिंग करते हुए सड़कों के किनारे नाली निर्माण अत्यावश्यक है, ताकि जनसामान्य को मार्ग का पूरे वर्ष लाभ मिल सके तथा घरेलू व वर्षा ऋतु के जल की निकासी हो सके। जिन गलियों की चौड़ाई कम हो, उनके दोनों ओर अथवा एक ओर नाली निर्माण का कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार किया जाय, ताकि जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इसी प्रकार अल्पविकसित एवं मलिन बस्तियों में पेयजल, मार्ग प्रकाश व अन्य मूलभूत सुविधाओं की कार्यवाही करायी जायेगी।
6. कार्यदायी विभाग द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी, जिसमें विभिन्न मदों की दर संबंधित जनपद में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित शेड्यूल आफ रेट्स (यदि उपलब्ध हों) के आधार पर ली जाय तथा मदों की मात्रा की गणना ड्राइंग के अनुसार स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई एवं लम्बाई के अनुसार आगणित की जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-157/दस-2013-1074/2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 व शासनादेश संख्या-ई-8-158/दस-2013-1074/2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 में निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
8. योजनान्तर्गत अल्पविकसित क्षेत्र, पात्र लाभार्थी की वरीयता तथा व्यय की प्राथमिकता का निर्धारण कर लिया जायेगा।
9. प्रस्तावों की स्वीकृतियां जारी किये जाने से पूर्व नागर निकायों से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उक्त कार्य अन्य किसी योजना से स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।
10. वित्त पोषण:- अल्पविकसित व मलिन बस्तियों में कराये जाने वाले कार्यों का वित्त पोषण अनुदान संख्या-37 से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में कराये जाने वाले कार्यों का वित्त पोषण अनुदान संख्या-83 से किया जायेगा। अनुदान संख्या-83 से धनराशि का व्यय/उपयोग किये जाने हेतु एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. वित्तीय वर्ष 2012-13 में आरम्भ की गयी शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में "सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु लगभग रू0 120.00 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता है, किन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त योजनान्तर्गत बजट प्राविधान उपलब्ध नहीं है। चूँकि अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में "सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यों का समावेश नई संचालित योजना "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन

-3/

बस्ती विकास योजना" में है। अतः अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में "सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" में योजनावार निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

3. अतः कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-117/2017/1279(1)/69-1-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/नियोजन/नगर विकास/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(राम निवास)
विशेष सचिव।

http://sharanadesh.up.nic.in